

04/10/2024 बाण यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग
 अभियान-2024 के तहत ग्राम पंचायत प्रत्युता
 में आयोजित बैठक में पेना हुई। तहसीलदार
 खेतड़ी की रिपोर्ट वर्ष से पत्रावली पर उपलब्ध है,
 जिसके अनुसार शमशेर शर्मा का पिता न छोटा
 शर्मा का मामा है। शर्मा के पिता का नाम
 पुस्तक डिया जाना न्यायसंगत नहीं है। मजम
 नाम में सुधार की गई। पत्रावली पर उपलब्ध
 दस्तावेज एवं तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट
 के आधार पर शर्मा का शर्मा पर स्वीकार
 किया जाना न्यायोचित नहीं होगा है।
 सिवाय शर्मा का शर्मा पर स्वीकार किया
 जाना है। निर्णय मजम नाम में सुधार
 गुणा। पत्रावली के तहत सुधार व वर्ष नवंबर
 से एक छोटा दायित्व दृष्टा है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

